रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939
No. 244] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 308(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची III में, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) में, अनुसूची III, प्रभाग I में, भाग I में, पैरा 6 में, खंड 'ब' के पश्चात्, "तुलनपत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"**भ**. प्रत्येक कंपनी तारीख 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान धारित और संव्यवहार किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के ब्यौरे का नीचे सारणी में यथाउपबंधित प्रकटीकरण करेगी :-

	एसबीएन	अन्य अभिधान नोट	कुल योग
तारीख 18.11.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			
(+) अनुज्ञाप्राप्त प्राप्तियां			
(-) अनुज्ञाप्राप्त संदाय			
(-) बैंकों में जमा की गई रकम			
तारीख 30.12.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'विनिर्दिष्ट बैंक नोट' पद का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016 में उपबंधित किया गया है।"

3. मूल अधिनियम में अनुसूची III, प्रभाग II में, भाग I में, पैरा 6 में, खंड 'ञ' के बाद "तुलन-पत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"ट. प्रत्येक कंपनी तारीख 08/11/2016 से 30/12/2016 तक की अवधि के दौरान धारित और संव्यवहार किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के ब्यौरे का नीचे सारणी में यथा उपबंधित प्रकटीकरण करेगी :-

	एसबीएन	अन्य अभिधान नोट	कुल योग
तारीख 18.11.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			
(+) अनुज्ञाप्राप्त प्राप्तियां			
(-) अनुज्ञाप्राप्त संदाय			
(-) बैंकों में जमा की गई रकम			
तारीख 30.12.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'विनिर्दिष्ट बैंक नोट' पद का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 में उपबंधित किया गया है।"

[फा. सं. 17/62/2015-सीएल-V (भाग I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, तारीख 26.03.2014 की अधिसूचना का.आ. 902(अ) द्वारा तारीख 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई थी, तत्पश्चात् तारीख 04.09.2015 की सा.का.नि. संख्यांक 679(अ) और तारीख 06.04.2016 की सा.का.नि. संख्यांक 404(अ) *द्वारा* संशोधन किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2017

G.S.R. 308(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to Schedule III of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the principal Act), in Schedule III, in Division I, in Part I under the heading "General instructions for preparation of Balance Sheet" in paragraph 6, after clause 'W', the following clause shall be inserted namely:-

"**X**. Every company shall disclose the details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from 8th November, 2016 to 30th December, 2016 as provided in the Table below:-

	SBNs	Other denomination notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016			
(+) Permitted receipts			

(-) Permitted payments			
(-) Amount deposited in Banks			
Closing cash in hand as on 30.12.2016			

Explanation : For the purposes of this clause, the term 'Specified Bank Notes' shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016.".

3. In the principal Act, in Schedule III, in Division II, in Part I under the heading "General instructions for preparation of Balance Sheet" in paragraph 6, after clause 'J', the following clause shall be inserted namely:-

"**K**. Every company shall disclose the details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period 08/11/2016 to 30/12/2016 as provided in the Table below:-

	SBNs	Other denomination notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016			
(+) Permitted receipts			
(-) Permitted payments			
(-) Amount deposited in Banks			
Closing cash in hand as on 30.12.2016			

IndiaCode

Explanation : For the purposes of this clause, the term 'Specified Bank Notes' shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016.".

[F. No. 17/62/2015-CL-V (Vol.I)]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

Note : Schedule III of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1st April, 2014 *vide* Notification S.O. 902(E), dated 26.3.2014, subsequently amended *vide* G.S.R. 679(E), dated 04.09.2015 and *vide* G.S.R. 404(E), dated 06.04.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.03.30 23:42:01 +05'30'